



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-311/2022

दिनांक- 21-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति
थाना- निजामाबाद

चेकिंग के दौरान गोवंशीय पशुओं का वध करके मांस बेचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार; 01 मोटरसाइकिल सीज।

दिनांक- 20.09.2022 को उ0नि0 शमशाद खान मय हमराह को सूचना मिली कि तहबरपुर की ओर से गाय काटकर उसके मांस को बेचने हेतु मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति इसी तरफ आ रहे हैं। जिस पर चेकिंग गहनता से की जा रही थी तभी तहबरपुर के तरफ से एक मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP50BQ 6897 सुपर स्पलेण्डर पर सवार दो व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर गाड़ी मोड़कर वापस भागने ही वाले थे कि पुलिस द्वारा उनको पकड़ लिया गया तथा अपना नाम 1. मो0 नासिर S/O स्व0 सहाबुद्दीन निवासी कसाई मुहल्ला थाना निजामाबाद आजमगढ़ 2. मेराज S/O सुफियान निवासी कसाई मोहल्ला थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया तथा मौके पर उनके कब्जे से एक झोले में 15 किग्रा 500 ग्राम गोमांस बरामद हुआ तथा उपरोक्त मोटरसाइकिल को सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 408/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0- 408/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम , थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मो0 नासिर S/O स्व0 सहाबुद्दीन निवासी कसाई मुहल्ला थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मेराज S/O सुफियान निवासी कसाई मोहल्ला थाना निजामाबाद आजमगढ़

बरामदगी- गोमांस 15 किग्रा 500 ग्राम व एक मोटरसाइकिल UP50BQ 6897 सुपर स्पलेण्डर (सीज)

आपराधिक इतिहास: मेराज S/O सुफियान

i- मु0अ0सं0- 161/19 धारा 147/149/427/504/ 506 भादवि , थाना निजामाबाद आजमगढ़

ii- मु0अ0सं0- 233/22 धारा 323, 336, 34, 504, 506 भादवि , थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 शमशाद खां हे0का0 मनोज सोनकर का0 सुमित यादव का0 रजत त्रिपाठी थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना कोतवाली

चोरी की घटना का अनावरण; अवैध तमन्चा, कारतूस व चोरी गये सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- 1. दिनांक 20.8.22 को वादी मुकदमा सूर्यभान पुत्र सोहनलाल निवासी बनाफा थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र जिसमें दो मोबाइल सेट, दो ड्रील मशीन, बिजली का बोर्ड, तार, बैग चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 395/22 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रचलित है।

दिनांक 21.9.22 को उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा राजघाट पर चेकिंग की जा रही थी कि सूचना पर बाग लखराँव पुलिया के पास दो व्यक्तियों को पकड़कर पुछताछ किया गया तथा तलाशी से उनके पास से मु0अ0सं0 395/22 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित एक अदद कटर, एक अदद ग्रिल मशीन, 4 लच्छी पुराना तार इस्तेमाली तथा जामातलाशी से अभियुक्त 1. सूरज हरिजन पुत्र विनोद सा0 तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पास से 2 अदद तमन्चा 315 बोर व अभियुक्त 2. मो0 समीर पुत्र मु0 मुस्तफा सा0 मु0 कोट बाजबहादुर थाना कोतवाली आजमगढ़ के पास से एक अदद तमन्चा व एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्तों को कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार समय करीब 3.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु.अ.स. 395/22 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2. मु.अ.स. 463/22 धारा 3/ 25 शस्त्र अधि. बनाम सूरज हरिजन उपरोक्त थाना कोतवाली आजमगढ़
3. मु.अ.स. 464/22 धारा 3 /25 शस्त्र अधि बनाम मो0 समीर थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

- 1- सूरज हरिजन पुत्र विनोद सा0 तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़,
- 2- मो0 समीर पुत्र मु0 मुस्तफा सा0 मु0 कोट बाजबहादुर थाना कोतवाली आजमगढ़

बरामदगी का विवरण -

- 1- एक अदद कटर, एक अदद ग्रिल मशीन, 4 लच्छी पुराना तार इस्तेमाली
- 2- एक अदद तमन्चा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. उ०नि० अश्वनी कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी बदरका हे०कां० कृष्णमुरारी सिंह कां० पंकज हलवाई, कां० शिवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

थाना- बिलरियागंज **गोवध अधिनियम में एक गिरफ्तार**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.11.2020 को थाना स्थानीय पर सूचना मिली थी कि कुछ लोग ग्राम नसीरपुर नहर से होते हुए एक पिकप पर बछड़ा लादकर बध हेतु बिहार प्रान्त ले जा रहे और पिकप के आगे आगे कुछ लोग मोटरसाइकिल से पास दे रहे हैं जिनको पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया तो फायरिंग की गयी के तहत थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 203/202 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि० व धारा 307 भा०द०वि० के तहत अभियोग बनाम मोहम्मद आसिफ पुत्र मोसिन निवासी ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आदि 6 नफर पंजीकृत किया गया था। जिसमे वांछित अभियुक्त इसरार पुत्र इन्साद सा० अशरफपुर थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ की आज दिनांक 21.09.2022 को गिरफ्तारी गयी गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 21.09.2022 को उ०नि० मिथिलेश कुमार मय फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त इसरार पुत्र इन्साद सा० अशरफपुर थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर अशरफपुर से समय करीब 09.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यावही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. इसरार पुत्र इन्साद सा० अशरफपुर थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 203/202 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि० व धारा 307 भा०द०वि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ०नि० मिथिलेश कुमार का० विनोद गिरी का० धीरज कुमार त्रिपाठी का० रविन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

हत्या कर शव को छिपाने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 17.09.2022 को वादिनी श्रीमती सिन्धू पत्नी हरिकेश सरोज निवासी गोमाडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि मेरे पति हरिकेश दिनांक 15.09.2022 को मेरे ही गाँव के 1. राजेश गौड़ 2. अजय 3. हीरा 4. फकरूद्दीन 5. राकेश के साथ गये थे वापस नहीं आये और आज दिनांक 17.09.2022 को उनकी लाश गाँव के पोखरे में मिली है मुझे शंका है कि उपरोक्त लोग मेरे पति को मारकर शव को पोखरी में फेंक दिये थे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 331/2022 धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा सम्पादित की जा रही थी। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर थाना प्रभारी गम्भीरपुर को अभियुक्त फकरूद्दीन व अजय प्रजापति की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये थे।

जिसके क्रम में दिनांक- 21.09.2022 को उ.नि. उमाकान्त शुक्ला मय हमराह द्वारा अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त फकरूद्दीन पुत्र मो. असगर निवासी रसूलपुर बाजबहादुरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, 2. अजय प्रजापति पुत्र रतनलाल प्रजापति निवासी रसूलपुर बाजबहादुरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को देशी शराब खरीदने गोसाई की बजार ठेके के पास से समय करीब 12.15 बजे नियमानुसार गिरफ्तार कर मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. फकरूद्दीन पुत्र मो. असगर निवासी रसूलपुर बाजबहादुरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. अजय प्रजापति पुत्र रतनलाल प्रजापति निवासी रसूलपुर बाजबहादुरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

मु०अ०सं० 331/22 धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ.नि. उमाकान्त शुक्ला चौकी प्रभारी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का. सुनील कुमार चौकी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ,

का. देवव्रत यादव चौकी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़